उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्या-4/2016/जी-2-87/दस-2016-501/75टी0सी0
लखनऊः दिनांक: 11 अगस्त , 2016

कार्यालय-ज्ञाप

विषय- **भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि ।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य निधि के अभिदाताओं में अधिक बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा उनके परिवार को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्री राज्यपाल महोदय ने उनके भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध एक बीमा योजना जिसके अन्तर्गत अभिदाता को बिना प्रीमियम दिये बीमा के अनुरूप लाभ मिल सके, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा0-4-209/दस-501-75, दिनांक 05 दिसम्बर, 1979 द्वारा लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। तत्पश्चात उ0प्र0 द्वितीय वेतन आयोग 1979-80 की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(iii)(क) में उल्लिखित सेवा समूहों के वेतनमान को वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा0-4-553/दस-85-501-79, दिनांक 04 अप्रैल, 1985 द्वारा संशोधित किया गया था। पुनः योजना के उदारीकरण के उद्धेश्य से वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा0-4-152-/दस-94-501-75, दिनांक 25 अप्रैल, 1994 द्वारा उक्त दोनों कार्यालय ज्ञापों में आंशिक संशोधन करते हुए योजना के अन्तर्गत किसी एक मामले में इस अतिरिक्त देय धनराशि की अधिकतम् सीमा रू0 30000/-निर्धारित की गयी है।

2- दिनांक 01 जनवरी, 2006 से राज्य में पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने के उपरान्त इस योजना में निम्नानुसार पुनः संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:--

(1) सेवाकाल में अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी निधि में जमा अवशेष धनराशि को संगत नियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों को अधोलिखित बिन्दु-3 की शर्तों के अधीन उस अभिदाता की मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षो में उसके भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि के औसत के बराबर अतिरिक्त धनराशि स्वीकार की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि योजना के अन्तर्गत किसी एक मामले में इस अतिरिक्त देय धनराशि की अधिकतम् सीमा रू0 60000/-से अधिक नहीं होगी।

http://finance.up.nic.in

(2) अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) के मामले में केवल अभिदाता के अभिदान की धनराशि तथा उस पर अनुमन्य ब्याज की धनराशि ही इस प्रयोजन के लिये अवशेष धनराशि मानी जायेगी।

(3) उपरोक्त लाभ निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर प्राप्त होगाः--

(क) मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान ऐसे अभिदाता के खाते में विद्यमान अवशेष किसी भी समय निम्नलिखित सीमा से कम न हुआ होः--

(एक) अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहद भाग में ऐसा पदधारण किया हो जो वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 या उससे ऊपर का हो अथवा ग्रेड वेतन रू0 4800/- प्रतिमाह या उससे अधिक प्राप्त किया हो। **रू0 25000/-**

(दो) अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहद भाग में ऐसा पदधारण किया हो जो वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 का हो परन्तु उसमे ग्रेड वेतन रू0 4200/- प्रतिमास या उससे अधिक किन्तु ग्रेड वेतन रू0 4800/- प्रतिमाह से कम प्राप्त किया हो। **रू0 15000/-**

(तीन) अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहद भाग में ऐसा पदधारण किया हो जो वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 का हो परन्तु उसमें ग्रेड वेतन रू0 1800/-प्रतिमास या उससे अधिक किन्तु ग्रेड वेतन रू0 4200/- से कम प्राप्त किया हो। **रू0 10000/-**

(ख) इस योजना के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि रू0 60000/-(रू0 साठ हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपने मृत्यु के समय कम से कम पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

3- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05 दिसम्बर, 1979 की शेष शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगे।

4- यह संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तारीख से प्रभावी होगा।

अजय अग्रवाल

सचिव

http://sharanadesh.up.nic.in

संख्या-4/2016/जी-2-87(1)/दस-2016-501/75टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(3) सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(5) निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

http//shasanadesh.up.nic.in